राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4296/2025

मोहन लाल मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विधालय, नेवर, आंधी जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.09.2025
आदेश की दिनांक : 07.10.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II अंग्रेजी, के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नेवर, आंधी, जिला जयपुर में कार्यरत हैं। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2012 में जिला परिषद राजसमंद के द्वारा आयोजित करवाई सीधी भर्ती से अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II विषय अंग्रेजी के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गुंदी का भीलवाड़ा ब्लॉक कुंभलगढ जिला राजसमंद में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2022 में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय निदेशालय, अंग्रेजी माध्यम में पदस्थापन करने के लिए साक्षात्कार आयोजित करवाए गए थे, उक्त चयन प्रक्रिया में अपीलार्थी ने भी भाग लिया और प्रत्यर्थी संख्या 3 के आदेश दिनांक 28.07.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, नेवर, आंधी जिला जयपुर आंवटित किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II विषय अंग्रेजी के पद पर कार्यग्रहण कर लिया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, नेवर, आंधी जिला जयपुर में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II विषय अंग्रेजी का एक ही पद स्वीकृत है। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 3

ने आदेश दिनांक 08.08.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा संविदा के आधार पर एक अन्य कार्मिक का चयन कर उसे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नेवर, आंधी जिला जयपुर में नियुक्ति दे दी गई और संविदा कार्मिक को भी पदस्थापित कर दिया गया है। इस कारण एक पद पर दो कार्मिक हो गए है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग का नियमित कार्मिक है और प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापित विद्यालय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, नेवर, आंधी जिला जयपुर में एक विशेष चयन प्रक्रिया के तहत चयन किया गया है। जबकि एक अन्य कार्मिक को संविदा पर पदस्थापित किया गया है। संविदा कार्मिक की नियुक्ति के कारण अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित विद्यालय से अधिशेष कर अन्यंत्र विद्यालय में पदस्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा की जा रही है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग की उक्त कार्यवाही अनुचित एवं नियमों के विपरित है। संविदा कार्मिक की नियुक्ति के कारण नियमित कार्मिक को अधिशेष कर अन्यंत्र पदस्थापन किया जाना अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि संविदा कार्मिक की नियुक्ति के कारण अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, नेवर, आंधी जिला जयपुर में निरंतर कार्यरत रखने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और

ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)